



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष, 1946 (श०)

संख्या - 16 राँची, शुक्रवार,

3 जनवरी, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 दिसम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-3/2014 का०- 8195--श्री अरविन्द कुमार, (कोटि क्रमांक-687/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, जमुआ, गिरिडीह के विरुद्ध उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-2668, दिनांक 11.10.2003 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :-

आरोप सं०-1- श्री अरविन्द कुमार, अंचल अधिकारी, जमुआ का पैर फ्रैक्चर हो जाने के फलस्वरूप कार्य करने में असमर्थ रहने के कारण राजस्व कार्यों में बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए उन्हें अर्जित अवकाश में जाने तथा कार्य का सुचारु ढंग से निष्पादन हेतु तत्काल अंचल अधिकारी, गिरिडीह को जमुआ अंचल का प्रभार देने का आदेश दिया गया, परन्तु न ही वे अर्जित अवकाश में गये न प्रभार ही सौंपा ।

आरोप सं०-2- वे पूरे सितम्बर माह में अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहे। यदाकदा अपने आवास से वे कोई पत्र लिख दिया करते थे ।

आरोप सं०-3- दिनांक 14.09.03 को भू-क्रान्ति समारोह गिरिडीह में मनाया गया, जिसमें गिरिडीह जिला के सभी अंचल अधिकारियों को भाग लेने का आदेश दिया गया था, लेकिन श्री अरविन्द कुमार उक्त समारोह में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने हेतु कोई आवेदन भी नहीं दिया।

आरोप सं०-4- दिनांक 15.09.03 को माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री मधु सिंह ने सभी अंचल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की, लेकिन श्री कुमार उक्त बैठक में भाग नहीं लिए जिसके कारण माननीय मंत्री, जमुआ अंचल के कार्यों की समीक्षा नहीं कर सके।

आरोप सं०-5- जमुआ अंचल में भूहबंदी के तहत 215.72 एकड़ अधिशेष भूमि प्राप्त हुआ था उसका वितरण किया जाना था। अंचल अधिकारी के निष्क्रिय रहने तथा भू-धारियों से मिलीभगत के कारण 215.72 एकड़ जमीन लाभार्थियों के बीच वितरित नहीं किया जा सका, जबकि भूमि वितरण हेतु 27.05.03 को अधिघोषणा तथा 05.06.03 को भूमि का अधिग्रहण हुआ। समारोह में इस जमीन के वितरण हेतु एक माह तक दबाव बनाये रखा गया। अंतिम क्षणों में भूमि सुधार उप समाहर्ता ने 110 करोड़ भूमि वितरण करवा सके। शेष भूमि 105.72 एकड़ का वितरण अभी भी बाकी है।

2. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, उपायुक्त, गिरिडीह एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं०-5841(HRMS), दिनांक 25.07.2019 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत श्री कुमार के विरुद्ध “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया गया।

3. उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार के पत्रांक-884/रा०, दिनांक 21.10.2019 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत उनके द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं०-581(HRMS), दिनांक 29.01.2020 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत अधिरोपित “निन्दन” के दण्ड को यथावत् रखा गया।

4. श्री कुमार द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No.-1093/2020 अरविन्द कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2021 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प संख्या-5841(HRMS), दिनांक 25.07.2019 एवं विभागीय संकल्प संख्या-581(HRMS) दिनांक 29.01.2020 को निरस्त कर दिया गया।

5. माननीय न्यायालय दिनांक 20.01.2021 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग की ओर LPA No.-149/2021 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम अरविन्द कुमार दायर किया गया।

उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

“13. This Court after having discussed the factual aspect vis-à-vis the legal position has considered the finding recorded by learned Single Judge wherefrom it is evident that the learned. Single Judge has found sufficient reason to interfere with the impugned decision of punishment on the ground that statutory provision as contained under Rule 19(b) and (c) of Rules, 2016 has not been followed and in absence thereof the punishment of ‘Censure’ has been imposed, which led the learned Single Judge to interfere with the order.

14. This Court, therefore is of the considered view that since the statutory mandate as provided under Rule 19 (b) and (c) of Rules, 2016 has not been followed, and in the circumstances the learned Single judge interfered with the impugned order, therefore, the same cannot be said to suffer from error.

15. Accordingly, the instant intra-court appeal fails and is dismissed.

16. Consequent upon disposal of intra court appeal the pending Interlocutory Application being I.A. No. 2537 of 2021 stands disposed of,”

6. अतः समीक्षोपरांत, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-5841 (HRMS), दिनांक 25.07.2019 द्वारा श्री अरविन्द कुमार, (कोटि क्रमांक- 687/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, जमुआ, गिरिडीह के विरुद्ध अधिरोपित निन्दन के दण्ड एवं उक्त दण्ड के विरुद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए दण्ड को यथावत रखने संबंधित संकल्प संख्या-581(HRMS), दिनांक 29.01.2020 को विलोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अरविन्द कुमार एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव ।
